



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 440

दिनांक : 5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,  
हरकचंद चौरडिया महाविद्यालय,  
भानपुरा, जिला-मंदसौर।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्राधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/93, दिनांक 08.04.2017,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संक्रय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 16.12.2017 को किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.12.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें "निर्णय लिया गया कि, श्री हरकचंद चौरडिया महाविद्यालय, भानपुरा, जिला-मंदसौर में सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में बी.कॉम.(आ.पा., टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस, कामर्स के सभी अनिवार्य विषय), बी.एससी.(आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित, एवं कम्प्यूटर विज्ञान), एम.कॉम.(लेखांकन), पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालय को सत्र 2016-17 में बी.कॉम.(आ.पा., टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस, कामर्स के सभी अनिवार्य विषय), बी.एससी.(आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित, एवं कम्प्यूटर विज्ञान), एम.कॉम.(लेखांकन) पाठ्यक्रम की कार्योत्तर सम्बद्धता-निरंतरता एवं 2017-18 में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 एवं 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-


क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.(आ.पा./टैक्स प्रोसिजर एण्ड प्रेक्टिस, कामर्स के सभी अनिवार्य विषय)	60
02.	बी.एससी.(आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान)	60
03.	एम.कॉम.(लेखांकन)	30

**शर्त :-**

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.12.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन करावें।
03. छात्राओं हेतु अलग से कॉमन रूम तैयार करवाया जाये।
04. महाविद्यालय भवन बहुत ही पुराना है। कक्षाओं के दरवाजे एवं खिड़की इत्यादि की मरम्मत करावें।
05. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु 20 नवीन पुस्तकें क्रय की जाये।
06. प्रयोगशालाओं का उन्नयन कराया जाये एवं खेल सामग्री क्रय की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

निरंतर...02